



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय उपायुक्त, सीमा शुल्क संभाग, बीकानेर,
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CUSTOMS DIVISION, BIKANER,
चेतन महादेव मन्दिर के सामने, जयपुर रोड़, बीकानेर-334001
OPPOSITE CHETAN MAHADEV TEMPLE, JAIPUR ROAD, BIKANER-334001

निविदा सूचना

इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के लिए सरकारी कार्यों के वास्ते नॉन ए.सी. (इनोवा/स्विफ्ट डिजायर/इंडिगो/टवेरा/बोलेरो) वाहन को किराये पर लेने की आवश्यकता है। यदि कोई गाड़ी मालिक सीमा भुल्क संभाग, बीकानेर में अपनी गाड़ी लगाने का इच्छुक हो तो अपना प्रस्ताव(टैण्डर) कार्यालय उपायुक्त, सीमा भुल्क संभाग, बीकानेर में दिनांक 05.09.2016 को 12.00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, व आवेदन इस संभाग से व विभागीय वेबसाइट www.centralexcisejaipur.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को निविदाताओं की उपस्थिति में दिनांक 05.09.2016 को सायं 15.00 बजे खोला जावेगा।

इस कार्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताए किसी भी/सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।

sd-
(निशा गुप्ता)


उपायुक्त

फा0स0-1-7(1)/प्रशा./सी.शु./बीका/15-16/ 2016

दिनांक 25/8

प्रतिलिपि:-

01. नोटिस बोर्ड, सीमा शुल्क संभाग, बीकानेर।
02. नोटिस बोर्ड, सीमा शुल्क मुख्यालय, जयपुर।
03. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सीमा शुल्क मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।


उपायुक्त

cex.jaipur.nic.in

in right file

कार्यालय उपायुक्त, सीमा शुल्क संभाग, बीकानेर,
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CUSTOMS DIVISION, BIKANER,
चेतन महादेव मन्दिर के सामने, जयपुर रोड़, बीकानेर-334001
OPP. CHETAN MAHADEV TEMPLE, JAIPUR ROAD, BIKANER-334001

वाहन किराये पर लेने से सम्बन्धित आवश्यक शर्तें

1. यह है कि कार अच्छी कण्डीशन वाली, अवातानुकूलित तथा पूर्णतया सुसज्जित होनी चाहिये ।
2. यह कि वाहन चालक को कम से कम पाँच साल का अनुभव होना चाहिए जिसके लाइसेंस की छायाप्रति द्वितीय पक्ष को दिया जाये ।
3. यह कि सामान्यतया कार्य समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 9.00 बजे तक होगा । रविवार के अतिरिक्त और कोई अवकाश नहीं होगा। वाहन चालक को अवकाश के दिन भी कार्य कर आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है ।
4. यह कि उपलब्ध करवायी गयी कार के खराब होने/सर्विस इत्यादि पर खर्च अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी कार उपलब्ध करवाने/अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता फर्म की होगी।
5. यह कि राजकीय कार्य हेतु आवश्यकतानुसार कार बीकानेर/ राजस्थान से बाहर दूर पर जा सकती है।
6. यह कि यदि वाहन राजस्थान से बाहर जायेगा तो दूसरे राज्य का टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग इस कार्यालय द्वारा देय होंगे।
7. यह कि वाहन की मरम्मत एवं सभी प्रकार के टैक्स, इन्श्योरेन्स एवं दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी सेवाप्रदाता फर्म की होगी।
8. यह कि अनुबंध समाप्ति हेतु सेवाप्रदाता फर्म एवं कार्यालय को कम से कम एक माह का लिखित नोटिस देना होगा।
9. यह कि वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या गाडी की सही सर्विस नही होने पर कार्यालय को किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. यह कि कार के ड्राईवर से सम्पर्क हेतु उसका मोबाईल नम्बर इस कार्यालय को बताना होगा।
11. यह कि सेवाप्रदाता फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि कार पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि ईंधन, ल्यूब्रीकेन्ट चालक वेतन का भुगतान समय से किया जावे और कार हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे। सेवाप्रदाता फर्म के द्वारा कार चालक को साफ-सुथरी वर्दी उपलब्ध करवायी जाएगी। यदि कार की रिपेयर/सर्विस होती है तो अवकाश दिवस में ही कराई जाये। यदि कार में कार्य कराना आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार दूसरी गाडी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता फर्म की होगी।
12. यह कि वाहन 2000 कि.मी. तक चलने पर न्यूनतम चार्ज दिया जायेगा।

13. वाहन की मीटर रीडिंग की गणना कार्यालय परिसर से शुरू होकर सांय वापसी में कार्यालय परिसर तक ही मान्य होगी।
14. देय टी.डी.एस. एवं उस पर लागू सैस की बिल राशि से कटौती की जायेगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट बाद में सेवाप्रदाता फर्म को दे दिया जायेगा ।
15. सर्विस टैक्स यदि देय है तो विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
16. सेवाप्रदाता फर्म नियमित रूप से कार की लॉग बुक का रख-रखाव करेगा।
17. विभाग को आवश्यकतानुसार ठेके कि शर्ता में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

